न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-171RAAJodhpur2023-90RTA223 Banshilal Vs Sonaram etc

बंशीलाल पुत्र श्री गिरधारीराम जाति पटेल, निवासी– ग्राम धुंधाड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. सोनाराम पुत्र श्री गिरधारीराम जाति पटेल, निवासी– ग्राम धुंधाड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 मार्च 2023 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 38/2018 बंशीलाल व अन्य बनाम सोनाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री रामसुख शर्मा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 20 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 38/2018 अनवान बंशीलाल व अन्य बनाम सोनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 मार्च 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 अप्रैल 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम धुंधाड़ा तहसील लूणी के खसरा नं0 182 रकबा 44.07 बीघा, खसरा नं. 219 रकबा 31.09 बीघा के संबंध में धारा 88, 188 एवं 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को वाद खारिज कर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक स्व. गिरधारीराम जी के जाईन्दा पुत्र है तथा सगे भाई है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक की पैतृक कृषि भूमि जिसके खसरा नंबर 182 रकबा 44 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 219 रकबा 31 बीघा 9 बिस्वा कुल दो खसरों की कुल जमीन 75 बीघा 16 बिस्वा ग्राम घूंधाडा, तहसील लूणी में स्थित है। उक्त जमीन के 1/2 भाग का मालिक अपीलांट एवं 1/2 भाग के मालिक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 है। उपरोक्त जमीन के अलावा खसरा संख्या 181 रकबा 49 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 218 रकबा 24 बीघा 5 बिस्वा कुल दो खसरान की कुल रकबा 73 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम घूंघाडा, तहसील लूणी में स्थित है। उक्त जमीन में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. गिरधारीलाल का 1/4 हिस्सा था, जिसके आधे भाग का मालिक अपीलांट एवं आधे भाग का मालिक रेस्पोडेन्ट संख्या एक है.। अपीलांट के पिता गिरधारीराम जी के स्वर्गवास के बाद खसरा नम्बर 181 एवं खसरा संख्या 218 एवं खसरा संख्या 182, 219 का जब म्यूटेशन हुआ, तब रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने उपरोक्त जमीन में जो हिस्सा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का बराबर था। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलावट करके आनन–फानन में नांमांतरकरण संख्या 142 के जरिये संपूर्ण हिस्सा अकेले अपने नाम करवा दिया। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में गांव धूंधाड़ा में राजस्व कैम्प लगा, तब अपीलांट ने अपने आई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से जमीन का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने की सलाह दी। उस वक्त हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड देखकर बताया कि खसरा संख्या 181 एवं 218 एवं 182, 219 की जमीन तो राजस्व रेकर्ड में अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज है। तब उक्त कैम्प में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने यह स्वीकार किया कि जमीन मेरे अकेले के नाम गलत दर्ज हो गयी है। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ने यह सहमति दी कि अपीलांट के हिस्से की जगीन अपीलांट के नाम करवा दूंगा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजस्व कैम्प में श्रीमान उपखंड अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र पेश कर यह बताया कि मेरे पिताजी के नाम की जमीन मेरे अकेले के नाम खातेदारी में गलत दर्ज है, इसमें मेरे भाई अपीलांट का बराबर हिस्सा है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक अपीलांट को उसका हिस्सा देने हेतु सहमत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। कैम्प में रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधिकारी को यह लिखकर दिया कि आधी जमीन मेरे भाई बंशीलाल के नाम कर दी जावे। कैम्प प्रभारी ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट मांगी तो रिपोर्ट पेश की कि स्व. गिरधारीराम जी की अन्य जमीन के नामान्तरकरण क्रम संख्या 568, 569, 870, 871, 872, 873 एवं 877 एवं 878 जो दर्ज है उसमें अपीलांट को स्व. गिरधारीराम जी का जाईन्दा पुत्र मानकर अपीलांट के नाम म्यूटेशन किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध उक्त दस्तावेजात को देखा ही नहीं एवं बिना किसी आधार पर अपीलांट का वाद विधिविरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया। वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि दावा का नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मिलने पर वह विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही उसने जवाब दावा पेश किया। ऐसी स्थिति में वादी का वाद में किये गये कथन अखण्डनीय है। अपीलांट द्वारा म्यूटेशन संख्या 142 जो सन् 1975 में स्वीकृत करना बताया गया। अपीलांट ने तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 24/2/1975 की नकल मांगी तो अपीलांट को नकल नहीं दी गयी एवं नकल शाखा तहसीलदार जोधपुर के अधिकारी ने इस टिप्पणी के साथ नकल प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि मांगी गयी नकल तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्व. गिरधारीराम की कृषि भूमि अपने अकेले के नाम खातेदारी में दर्ज करवा दी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। वादी/अपीलांट का नाम घर का प्यार का बोलता नाम बस्ताराम है, इस कारण वादी के अन्य जमाबंदी में बंशीलाल के स्थान पर बस्ताराम दर्ज हो गया, बाद में वादी/अपीलांट द्वारा संशोधन करवाते हुए शुद्धि के मार्फत अन्य खातेदारी में बस्ताराम के स्थान पर बंशीलाल करवा दिया, जिस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। उक्त संपूर्ण आधारों से यही पूर्णतया स्पष्ट हो चुका है कि वादी वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार की घोषणा व विवादित म्यूटेशन निरस्त करवाने का हकदार है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे एवं माफिक अनुतोष वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी के पिता स्व. गिरधारीराम के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज रही है जो तहसीलदार जोधपुर के आदेश के जरिये नामांतरकरण संख्या 142 द्वारा रेस्पोडेंट के नाम दर्ज हुई है। अपीलांट द्वारा तहसीलदार जोधपुर के आदेश को आज दिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। कानूनन तहसीलदार के आदेश की पालना में भरे गये नामांतरकरण को विचारण न्यायालय को खारिज करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के सभी खातेदारान् को भी पक्षकार संयोजित नही किया है, इस कारण वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख प्रदर्श–6 जमाबंदी सवतः 2025–2028 एवं जमाबंदी संवतः 2022–2025 ग्राम धुंधाड़ा के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट अपीलांट के पिता गिरधारी पिता परभु की सहखातेदारी की भूमि रही है। प्रदर्श–02 नामांतरकरण संख 142 ग्राम धुन्धाड़ा जो तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 24.02.1975 की पालना में भरा जाना बताया गया है, के जरिये वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट के पिता गिरधारी के स्थान पर उनके दोनो पुत्रों का नाम इन्द्राज न किया जाकर केवल रेस्पोडेंट संख्या एक का नाम इन्द्राज किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 568, 569, 870, 871, 872, 873, 877, 878 जो स्व. गिरधारीराम के नाम दर्ज अन्य भूमियों के संबंध में उनकी फौतेदगी उपरांत स्वीकृत किये गये है, जिनमें अपीलांट का नाम रेस्पोडेंट संख्या एक के साथ बहिस्सा बराबर दर्ज है, जिसकी पुष्टि उक्त आराजीयात के अद्यतन राजस्व रेकर्ड से भी होती है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त नामांतरकरणों एवं अद्यतन राजस्व रेकर्ड पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–05 के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 24.05.2017 उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि **"मेरे पिता की जमीन खसरा नं. 182 एवं 219 में सिर्फ मेरा ही नाम दर्ज हो गया, जबकि हम दो भाई है।"** रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा उक्त आराजी में 1/2 हिस्से में अपीलांट का नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया तथा उसमें उसे कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह साबित है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या एक स्व. गिरधारीराम के पुत्र है तथा सगे भाई है। रेस्पोडेंट/प्रतिवादी पर विचारण न्यायालय में सम्मनों की सम्यक तामील होने के बावजूद भी वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा वाद पत्र में अंकित कथनों का खण्डन नहीं किया। यह उल्लेखनीय ही प्रतिवादी द्वारा पूर्व में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना के जरिये अपीलांट को अपना भाई माना है तथा वादग्रस्त आराजी में अपने साथ 1/2 हिस्से में नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है, जिससे वादी के वाद पत्र मे किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

रेस्पोडेंट का उज्र है कि नामांतरकरण संख्या 142 तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया है, किंतु रेस्पोडेंट द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 24.02.1975 की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे उक्त नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने का आधार स्पष्ट हो सके। यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट संख्या एक की स्वीकारोक्ति एवं अपीलांट के वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हिस्से तक उक्त नामांतरकरण स्वतः शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत सभी दस्तावेजी साक्ष्यों पर गौर किये बिना सरसरी तौर पर वादी का वाद खारिज किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 38/2018 अनवान बंशीलाल व अन्य बनाम सोनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 मार्च 2023 निरस्त किये जाकर मामला अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत प्रतिवादी से जवाब प्राप्त करते हुए वाद एवं जवाब के आधार पर मामले में तनकीयात कायम कर, उभय पक्ष को पुनः साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए उंभय पक्ष की सुनवाई उपरांत मामले का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर